बिहार सरकार
<u>जल संसाधन विभाग</u>

संठसं0–12 / स्था0–01–50 / 2025 ..../ पटना, दिनांक–

<u>तार्किक आदेश</u>

बिहार तकनीकी सेवा आयोग के विज्ञापन सं0–01 / 2019 के अंतर्गत कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर नियुक्ति हेतु श्री रामभजु कुमार, पिता–रामानन्द दास, ग्राम+पो0–तुर्क टेल्पा, थाना–बंशी, जिला–अरवल की प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय आदेश सं0–472 दिनांक 31.01.2025 के द्वारा श्री कुमार की नियुक्ति विभागान्तर्गत की गई। तदोपरान्त विभागीय आदेश सं0–890 दिनांक 28.02.2025 के द्वारा उनका पदस्थापन सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमंडल, टेकारी, गयाजी में किया गया, जहाँ श्री कुमार द्वारा दिनांक 03.03.2025 के पूर्वाह्न में पूर्व नियोजन संस्थान से निर्गत त्याग पत्र की स्वीकृत्यादेश / विरमन आदेश जमा किये बिना ही योगदान समर्पित किया गया। तत्पश्चात् कार्यपालक अभियंता, सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमंडल, टेकारी, गयाजी के पत्रांक 146 दिनांक 06.03.2025 द्वारा श्री कुमार का पदस्थापन सोन उच्चस्तरीय नहर अवर प्रमंडल, दादंर में पदस्थापित किया गया।

उल्लेखनीय है कि श्री रामभजु कुमार पूर्व में Sr. Overseer (Civil) के पद पर General Manager (C.C.L), Rajhara Area, Chandwa (Jharkhand) में कार्यरत थे। कार्यपालक अभियंता, **सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमंडल, टेकारी, गयाजी** के कार्यालय आदेश सं0–680 दिनांक 22.10.2025 **में अंकित है कि श्री कुमार द्वारा अपने पूर्व नियोक्ता संस्थान से त्याग पत्र स्वीकृत करने संबंधी समर्पित अभ्यावेदन की प्रति इस कार्यालय के संबंधित लिपिक को दिनांक 22.09.2025 को हस्तगत कराई गई। तदोपरान्त कार्यपालक अभियंता, सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमंडल, टेकारी, गयाजी के पत्रांक–626 दिनांक 25.09.2025 के द्वारा श्री कुमार के पूर्व नियोक्ता संस्थान से त्याग पत्र स्वीकृति संबंधी सूचना की माँग की गई। इसी क्रम में General Manager (C.C.L), Rajhara Area, Chandwa (Jharkhand) के पत्रांक–GM(RA) /HR/Charge Sheet/ Rambhaju/ 2025/883 दिनांक 09.10.2025 द्वारा सूचित किया गया है कि श्री कुमार के विरूद्ध Vigilance Department, C.C.L, HQ. Ranchi द्वारा Enquiry Proceeding संचालित है तथा वह Duty से फ़रार (Abscond) घोषित किये गये हैं।**

General Manager (C.C.L), Rajhara Area, Chandwa (Jharkhand) से प्राप्त सूचना के आधार पर कार्यपालक अभियंता, सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमंडल, टेकारी, गयाजी के पत्रांक– 655 दिनांक 13.10.2025 के द्वारा श्री रामभजु कुमार से पूर्व नियोजन संस्थान से निर्गत त्याग पत्र की स्वीकृति आदेश / विरमन आदेश बिना जमा किये योगदान करने के बिन्दु पर स्पष्टीकरण की माँग की गयी।

तत्पश्चात् श्री कुमार द्वारा उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरण के सम्यक् समीक्षोपरान्त कार्यपालक अभियंता, सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमण्डल, टेकारी, गयाजी के कार्यालय आदेश सं0– 680 दिनांक 22.10.2025 द्वारा उनके द्वारा समर्पित योगदान के समय पूर्व नियोक्ता संस्थान के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत त्याग–पत्र / विरमन आदेश की प्रति समर्पित नहीं किये जाने के कारण योगदान को अस्वीकृत किया गया। तदोपरान्त श्री कुमार द्वारा अपने अभ्यावेदन के माध्यम से प्रधान सचिव महोदय से विभाग में योगदान समर्पित करने एवं उनका पक्ष जानने के बाद ही विधि संगत कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया गया। श्री रामभजु कुमार द्वारा समर्पित उक्त अभ्यावेदन पर सम्यक् विचारोपरान्त विभागीय पत्रांक– 6856 दिनांक 15.12.2025 द्वारा पूर्व नियोक्ता संस्थान के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत त्याग–पत्र / विरमन आदेश 30 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने निमित्त निदेशित किया गया एवं स्पष्ट किया गया कि वाँछित अभिलेख ससमय उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में श्री कुमार की नियुक्ति रद्द किये जाने के बिन्दु पर विभाग एकपक्षीय निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होगा। तत्पश्चात् श्री कुमार द्वारा पुनः दिनांक 16.01.2026 को विभाग में अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसमें इनके द्वारा त्याग–पत्र / विरमन–पत्र उपलब्ध कराने हेतु कम से कम छः माह के समय प्रदान करने का अनुरोध किया गया।

कृ0पृ0उ0

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि श्री कुमार को त्याग–पत्र/विरमन–पत्र समर्पित करने हेतु उनके द्वारा सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमण्डल, टेकारी, गयाजी में योगदान समर्पित करने से लेकर विभागीय पत्रांक–6856 दिनांक 15.12.2025 द्वारा निर्धारित समय अवधि तक पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है एवं इनके द्वारा छः माह का अतिरिक्त समय की माँग किया जाना यथोचित एवं नियमानुकूल नहीं है।

विदित हो कि विभागीय नियुक्ति आदेश सं0– 472 दिनांक 31.01.2025 की **कंडिका–5** में निहित प्रावधान यथा :– **वैसे अभ्यर्थी जो पहले से सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्थानों/निकायों में कार्यरत है, उन्हें योगदान के समय पूर्व नियोक्ता संस्थान के समक्ष प्राधिकार से निर्गत विरमन–पत्र/स्वीकृत त्याग पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**

उक्त प्रावधान के आलोक में श्री कुमार द्वारा पदस्थापित कार्यालय सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमण्डल, टेकारी, गयाजी में योगदान समर्पित करते समय पूर्व नियोक्ता संस्थान के सक्षम प्राधिकार से निर्गत त्याग–पत्र / विरमन–पत्र प्रस्तुत करने संबंधी शर्त्त अनिवार्य होने के बावजूद उनके द्वारा तथ्य छुपाकर योगदान समर्पित किया गया। श्री रामभजु कुमार के अभिलेखों के समीक्षोपरांत वस्तुस्थिति निम्नवत् है :–

(i) विभागीय नियुक्ति आदेश सं0–472 दिनांक 31.01.2025 की **कंडिका–5** में वर्णित प्रावधान का उल्लंघन करते हुए श्री कुमार द्वारा कार्यपालक अभियंता का कार्यालय सोन उच्च स्तरीय नहर प्रमण्डल, टेकारी, गयाजी में दिनांक 03.03.2025 को योगदान समर्पित किया।

(ii) General Manager (C.C.L), Rajhara Area, Chandwa (Jharkhand) के पत्रांक–1506 दिनांक 04.03.2025 द्वारा श्री कुमार के दिनांक 01.03.2025 को C.C.L में त्याग–पत्र स्वीकृति संबंधी आवेदन के आलोक में स्पष्ट किया गया है कि **"In these circumstances your request for resignation from your post can not be processed to obtain NOC from Vigilance Department."**

(iii) General Manager (C.C.L), Rajhara Area, Chandwa (Jharkhand) के द्वारा सूचित किया गया है कि श्री कुमार के विरूद्ध Vigilance Department, C.C.L, HQ. Ranchi द्वारा Enquiry Proceeding संचालित है तथा वह Duty से Abscond घोषित किये गये हैं।

उपर्युक्त बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री रामभजु कुमार के द्वारा समर्पित अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए इनकी नियुक्ति रद्द की जाती है। साथ ही भविष्य में इनके द्वारा किसी भी तरह का दावा मान्य नहीं होगा।

2. उक्त पर प्रधान सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक –12/स्था0–01–50/2025 – पटना, दिनांक –

प्रतिलिपि :–माननीय मंत्री के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/महालेखाकार, बिहार, पटना/अपर सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक –12/स्था0–01–50/2025 – पटना, दिनांक –

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, औरंगाबाद/अधीक्षण अभियंता, सोन उच्चस्तरीय नहर अंचल, औरंगाबाद/कार्यपालक अभियंता, सोन उच्च स्तरीय नहर प्रमण्डल, टेकारी, गयाजी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–8, 13, 22, 23 एवं 24/श्री रामभजु कुमार, पिता–रामानन्द दास, ग्राम+पो0–तुर्क टेल्पा, थाना–बंशी, जिला–अरवल, बिहार, पिन–804419, email-rambhajukumar13@gmail.com को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक –12/स्था0–01–50/2025 – 1817 पटना, दिनांक – 6/4/26

प्रतिलिपि :– कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, सूचना प्रावैद्यिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित पदाधिकारियों के ईमेल पता पर भेजने हेतु प्रेषित।

6/4/26
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

R. Aadesh-2026, Sec-12